न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, जिला अलवर राज0

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/49/2024	2024/124	16.05.2024	18.06.2024

1. संदीप पुत्र रामदयाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम मालाखेड़ा तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर राज0।

—प्रार्थी

बनाम

1. कृष्णा देवी पत्नी स्व0 मदन लाल
2. चेतराम पुत्र मदन लाल
3. जगदीश प्रसाद पुत्र किशोरी लाल
4. शंकर पुत्र किशोरी लाल
5. शिम्भू पुत्र किशोरी लाल
6. राखी पुत्री मदन लाल जातियान ब्राहमण निवासीयान ग्राम मालाखेड़ा तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर राज0।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र मुंतकिल

उपस्थितः—
01—श्री गड्डी नायक —वकील प्रार्थी
02—श्री बाबू सिंह —वकील अप्रार्थी सं0 1 लगा0 5

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

—:निर्णयः—

प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र मुंतकिल प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा के प्रकरण उनवान संदीप बनाम कृष्णा देवी वगै0 को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने हेतु निवेदन किया गया। प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया एवं अधीनस्थ न्यायालय पेश मुंतकिल प्रा0पत्र के संबंध में बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई।

विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। वाद पत्र के साथ मिन वादी/प्रार्थी द्वारा एक प्रा0पत्र धारा 212 आरटीए के तहत पेश किया गया। जिस पर न्यायालय द्वारा स्थगन जारी किया हुआ है। वाद में प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण की तामील हो गई है, जो आये दिन कोर्ट परिसर व गांव में कहते फिरते है कि उनकी पीठासीन अधिकारी से पूरी तरह से साठ—गाठ है। वह वाद को वादी के विरूद्ध निर्णित करा लेंगे। इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में आते जाते देखा है तथा प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण भी अधीनस्थ न्यायालय के आस—पास व गांव में ऐलानिया तौर पर कह रहे है कि उनकी पीठासीन अधिकारी से वार्ता हो गई है। वादी का वाद लम्बे समय तक नहीं चलेगा और पीठासीन अधिकारी वाद को खारिज कर देंगे। दिनांक 15.05.2024 को प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण द्वारा उक्त प्ररकण में अपना जवाब पेश किया गया है। पीठासीन अधिकारी द्वारा बगैर मिन वादी/प्रार्थी की बहस सुने उक्त प्रकरण का निस्तारण करने हेतु दो दिन पश्चात दि0 17.05.2024 नियत कर दी गई है। इस पर वादी/प्रार्थी व उसके अधिवक्ता द्वारा इसका विरोध किया गया तो पीठासीन अधिकारी द्वारा आज दिांक को खुले न्यायालय में पक्षकार एवं अधिवक्ताओं के समक्ष यह कहा गया कि मैं उक्त पत्रावली में स्थगन आदेश को किसी भी हाल में

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

खारिज करके रहूंगा क्योंकि मेरी प्रतिवादीगण से बात हो गई है। जिससे मिन वादी/प्रार्थी पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नही है। इसलिए वादी/प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मुकदमें को अलवर न्याय क्षेत्र के किसी भी राजस्व न्यायालय में मुंतकिल कराना चाहता है ताकि वादी/प्रार्थी अपने हक हकूकों की रक्षा कर सके और न्याय निर्णय प्राप्त कर सके। अतः प्रार्थीगण का प्रा0पत्र मुंतकिल स्वीकार फरमाया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा में विचाराधीन राजस्व वाद प्रकरण उनवान संदीप बनाम कृष्णा देवी वगै0 को अलवर जिले के किसी भी दीगर राजस्व न्यायालय में मुंतकिल फरमावें।

विद्वान वकील अप्रार्थी सं0 1 लगा0 5 ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रकरण में टीआई की बहस हेतु नियत है। जिसमें प्रार्थी द्वारा बार–बार मौका चाहा गया है। साथ ही उक्त टीआई बहस का तथ्य मुंतकिल प्रा0पत्र में छुपाते हुए मनगढंत तथ्य अंकित कर उक्त मुंतकिल प्रा0पत्र पेश किया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रा0पत्र मुंतकिल खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन–मनन किया। उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा द्वारा अपने जवाब में टिप्पणी पेश कर अवगत कराया है कि प्रकरण में अप्रार्थी की तलबी के उपरांत अप्रार्थीगण ने जवाब पेश कर टी0आई0 बहस का कथन किया। वकील प्रार्थी ने टी0आई0 बहस का मौका चाहा। वकील प्रार्थी द्वारा टी0आई0 बहस नहीं करते हुए काल्पनिक कथन अंकित करते हुए मुंतकिल प्रा0पत्र पेश किया है। मुंतकिल प्रा0पत्र में अंकित तथ्य झुठे एवं मनगढंत है। मुकदमें में प्रभावी पैरवी करने के स्थान पर मौजूदा प्रा0पत्र महज प्रकरण को अनावश्यक विलम्ब करने की नियत से पेश किया गया है। फिर भी यदि प्रकरण को इस न्यायालय से दीगर न्यायालय में मुंतकिल के आदेश फरमाये तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। प्रथमदृष्ट्या अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा मुंतकिल प्रा0पत्र के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति के शपथ–पत्र पेश नहीं किये गये है और ना ही प्रा0पत्र के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये गये है। प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर, अलवर
राजस्थान